

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 445(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, गुजरात राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के समीप, आश्रम रोड, वडाज, अहमदाबाद-380013” द्वारा “थलीसिमीआ स्क्रीनिंग कार्यक्रम, आपदा प्रबंध कार्यक्रम, मोबाइल चिकित्सा देखभाल कार्यक्रम, कृत्रिम अंग और डिसएबिलिटी उपकरण के लिए आवर्ती लागत, फिजियोथेरेपी केंद्र के लिए उपस्कर, वरिष्ठ नागरिक गृह को चलाने की लागत” की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2008-2009 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1871(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-2014 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया;

और जबकि अनुमानित लागत को दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1871(अ) द्वारा '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 9.62 लाख रुपए' '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 41.82 करोड़ रुपए' तक बढ़ाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 41.82 करोड़ रुपए' तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, गुजरात राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के समीप आश्रम रोड, वडाज, अहमदाबाद-380013" द्वारा चलाई जा रही "थलीसिमिआ स्क्रीनिंग कार्यक्रम, आपदा प्रबंध कार्यक्रम, मोबाइल चिकित्सा देखभाल कार्यक्रम, कृत्रिम अंग और डिसएबिलिटी उपकरण के लिए आवर्ती लागत, फिजियोथेरेपी केंद्र के लिए उपस्कर, वरिष्ठ नागरिक गृह को चलाने की लागत" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 13 मार्च, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 737(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामतः :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 02, कालम (4) के सामने सारणी में, '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 41.82 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 75/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)